

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा  
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,  
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



## 'मिशन शक्ति' फेज-5.0 के तहत महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु किया गया जागरूक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज- 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्यवाही के अनुक्रम में आज दिनांक- 20.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मी (शक्ति दीदी) द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जाकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, कस्बों, गांवों चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं/छात्र-छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जैसे- वुमेन पावर लाइन **1090**, महिला हेल्पलाइन **181**, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन **1076**, पुलिस आपातकालीन सेवा **112**, चाइल्ड हेल्पलाइन **1098**, स्वास्थ्य सेवा **102** एम्बुलेंस सेवा **108** व साइबर हेल्पलाइन **1930** तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारे जानकारी देते हुए **24** घण्टे पुलिस सहायता प्रदान किये जाने व थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा सरकार द्वारा जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, आयुष्मान योजना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जी गयी एवं साथ ही साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-**1930** की जानकारी देकर किया गया जागरूक।



**सुन लो भैया सुन लो बहना, समस्या आने पर 112 फोन मिलाना-  
जनपद महोबा में यूपी-112 की ओर से "एक पहल" अभियान के तहत विभिन्न सेवाओं  
के बारे में जागरूक करने के लिए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया।**

लोगों को जागरूक किये जाने के लिए आपात सेवा यूपी 112 की ओर से एक पहल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों, छात्रों को 30प्र0 पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं के बारे में बड़े ही रोकच अंदाज में जागरूक किया जा रहा है। जनपद महोबा में सभी थानाक्षेत्रों में भ्रमण कर स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड, तहसील, बैंक, ग्रामीण इलाकों इत्यादि पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। स्वयं सेवी संस्था की ओर से नाट्य टोलियां सार्वजनिक स्थानों पर लोकगीतों और लघु नाटकों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों, छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं को बता रही हैं कि कैसे आप लोगो की एक छोटी सी पहल समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपील की कि आप लोग सिर्फ अपनी स्वयं की मदद के लिए ही नहीं बल्कि दुसरो की मदद को आगे आएं और फोन उठा करक यूपी पुलिस की आपात सहायता हेतु डायल 112 मिलाएं। इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इस नम्बर का उपयोग केवल पुलिस सहायता के लिए ही नहीं बल्कि घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम, छेडछाड़, आग लगने, प्राकृतिक आपदा आने, दुर्घटना इत्यादि घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही के लिए तत्काल सहायता ली जा सकती है। कलाकारों ने सुन लो भैया सुन लो बहना समस्या आने पर 112 फोन मिलाना आदि रोचक गीत/नाटक आदि प्रस्तुत किए।



## थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक-19.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 अभिनव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त भोलाप्रसाद कुशवाहा पुत्र मुकुंदी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गौरिहार थाना गौरिहार जनपद छतरपुर, मध्य प्रदेश को मय एक प्लाष्टिक का बोरी में 15 क्वार्टर देशी शराब ब्लू फ्लैग ब्रान्ड के साथ ग्राम बिलहरी के पास से नियमानुसार हिरासत में लिया गया, अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 231/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम -

भोलाप्रसाद कुशवाहा पुत्र मुकुंदी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गौरिहार थाना गौरिहार जनपद छतरपुर, मध्य प्रदेश

### बरामदगी का विवरण-

एक प्लाष्टिक की बोरी में 15 क्वार्टर देशी शराब ब्लू फ्लैग ब्रान्ड

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनव सिंह
2. हे0का0 शिवदयाल
3. का0 शुभम यादव



## थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 19.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना कोतवाली निरीक्षक श्री बलवान सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 गौरव चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान रेलवे स्टेशन अण्डर ब्रिज के ऊपर, पुराना रेलवे फाटक के पास बहद मु0 बजरिया के पास से अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्ता सत्यवती कबूतरा पत्नी प्रकाश उम्र करीब 40 वर्ष निवासी लालपहाड़ी कबूतरा डेरा/जकरियापीर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को हिरासत में लिया। इस दौरान कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ बरामदग हुई, इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0- 526/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्ता व आपराधिक विवरण:-

सत्यवती कबूतरा पत्नी प्रकाश उम्र करीब 40 वर्ष निवासी लालपहाड़ी कबूतरा डेरा/जकरियापीर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0- 526/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जिला महोबा

### बरामदगी:-

एक सफेद रंग की प्लास्टिक की पिपिया में 05 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ नाजायज

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 गौरव चौबे चौकी प्रभारी बजरिया थाना कोतवाली नगर जिला महोबा।
2. का0 हरिओम 3. का0 देवेन्द्र यादव
4. म0का0 आभा सोनी



## थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 19.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना कबरई निरीक्षक श्री गोपालचन्द्र कनौजिया द्वारा गठित की गई उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र बराती लाल उम्र 50 वर्ष नि०मु० गाँधीनगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को वर्मा तालाब के पास से नियमानुसार हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक के पिपिया में 15 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु०अ०सं० 309/2024 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह
2. हे०का० रामकरन सिंह
3. का० अंकुश पाल

### गिरफ्तार अभियुक्त-

मूलचन्द्र कुशवाहा पुत्र बराती लाल उम्र 50 वर्ष नि०मु० गाँधीनगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

### बरामद सम्पत्ति:-

अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के पिपिया में 15 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना।



## थाना खन्ना की पुलिस टीम ने

### एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 19.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय श्रीमान सिविल जज सी0डि0 एफटीसी महोदय महोबा द्वारा जारी मु0न0 263/22 अ0स0 40/24 धारा 323/504/506/452 भादवि के क्रम में निर्गत वारण्ट के क्रम में वारण्टी अभियुक्त रवि सिंह पुत्र रामबोल सिंह निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 24 वर्ष वारण्ट को अभियुक्त के घर के बाहर बहद ग्राम खन्ना से गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी वारंटी अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

रवि सिंह पुत्र रामबोल सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा।

## गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार
2. का0 अमित कुमार



## थाना खरेला की पुलिस टीम ने

### एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 19.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 सुरेश कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने न्यायालय सिविल जज जू0डि0 चरखारी महोबा उ0प्र0 द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में एक नफर वारण्टी अभियुक्त प्रमोद अहिरवार पुत्र शीतल प्रसाद अहिरवार निवासी ग्राम कुंआ थाना खरेला जनपद महोबा उम्र 28 वर्ष सम्बन्धित केस नं0 494/2023 धारा 337(ख)/504/506 **IPC** सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम कुआं थाना खरेला जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण -

1. उ0नि0 सुरेश कुमार यादव
2. का0 जीतेन्द्र सिंह गौतम
3. का0 हरिप्रताप सिंह
4. म0का0 नेहा देवी

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

प्रमोद अहिरवार पुत्र शीतल प्रसाद अहिरवार निवासी ग्राम कुंआ थाना खरेला जनपद महोबा उम्र 28 वर्ष





## थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01

### नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 20.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी गणेश कुमार द्वारा गठित की गई हे0का0 प्रदीप कुमार व का0 पवन कुमार चौकी रिवाई थाना चरखारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त भगवान सिंह पुत्र स्व0 लाउ सिंह निवासी ग्राम रिहुनिया थाना चरखारी जनपद महोबा को मंडी समिति के गेट के पास ग्राम कीरतपुरा चरखारी थाना चरखारी जनपद महोबा को एक अदद झोले में 32 क्वाटर झूम ब्राण्ड ठेका देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में मु0अ0सं0 255/2024 धारा 60 **EX ACT** का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. हे0का0 प्रदीप कुमार
2. का0 पवन कुमार चौकी रिवाई थाना चरखारी

### गिरफ्तार अभियुक्त-

भगवान सिंह पुत्र स्व0 लाउ सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम रिहुनिया थाना चरखारी जनपद महोबा।

### बरामदगी-

एक अदद झोले में 32 क्वाटर झूम ब्राण्ड ठेका देशी शराब नाजायज ब्राण्ड झूम

